

FORM No. III

अधिकांश एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अहकाम (नियम 26) उपखण्ड अधिकांश एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला (सीकर)

य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... बनावत
 शिवकुमार मुख्याधीन
 प्राणेश U/s 136 R.L.R. Act मुकदमा नं. 37 सन् 2019

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>23⁰⁹/₁₉ वकील प्राची श्री रामलिंह शेख ने हाजिर अदालत होकर प्राची-का U/s 136 R.L.R. Act पेश किया। जज पर दर्ज रजिस्टर किया जावे। अर्थात् की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04/10/2019 को पेश हो।</p>	
<p>11/10/19 पत्रावली पेश हुई वकील प्राची ने बहल हेतु निवेदन किया गया। बहल सुनी गयी। दौरान बहल वकील प्राची ने प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुझे ख.नं. 465 रकबा 0.78 है 0 तन ग्राम भादवाड़ी तहसील में के 1/2 हिस्सा की खातेदारी में प्राची का नाम राजेश रिपोर्ट में शिवभगवान पुत्र सुरजा गामत दर्ज है। प्राची व उसके पिता का सही नाम शिवकुमार पुत्र सुरजमल है। जिसके संबंध में प्राची का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड की धारा प्रती पेश कर दी है। उक्त दस्तावेज में प्राची व उसके पिता का नाम शिवकुमार</p>	

(Signature)

तारीख हुक्म

पुत्र सुरजमल झकित है अतः उम्दाउला
सही नाम के अड्डा दुम्दारी फलानी
जावे।
वकील प्राची को बहल सुनी गनी।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध पत्रोंके
राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान
पहचान पत्र का अवलोकन किया गया। उम्दाउला
दस्तावेज के अवलोकन से साबित होता है कि
प्राची का सही नाम शिवकुमार पुत्र सुरजमल
है अतः राजस्व में उदाउला दुम्दारी किम
गना उचित है अतः प्राची की प्राप्ति
रबीकार कर आदेश दिया जाता है कि:-

आदेश

राजस्व ग्राहक भादवाड़ी तहसील खण्डेला

जिला-सीकर राजस्थान के भूमि ख० न० ५६५

ख० ०-७४ के राजस्व रिकार्ड में प्राची का
नाम "शिवभगवान पुत्र सुरजा" के स्थान पर


"शिवकुमार पुत्र सुरजमल दुम्दारी" किम जावे।

तदाउला पालका हेतु तहसीलदार खण्डेला

को तहनीर जारी हो। पत्रावली फेंडाम सुमार
होकर नम्बर से कम हो बाह तक्रारीक दायिगी

दलतर हो।

मह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ५/१०/१९ को
सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेंद्र सिंह)
उपस्थित अधिकारी
खण्डेला (सीकर)